निरंतर कार्यवाही का दावा कर रहा मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फिर भी गरीबों तक नहीं पहुंच रहा राशन सस्ता

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 27.01.2023 को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता, फरीदाबाद को सूचना प्राप्त हुई कि कुम्हारवाडा, बल्लबगढ में सरकारी राशन डिपो द्वारा राशन कार्ड धारकों को वितरित ना करके कालाबाजारी की जा रही है।

प्राप्त सूचना के आधार पर जगदीश निरीक्षक मुख्यमंत्री उडन दस्ता फरीदाबाद द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह खाद्य एंव आपूर्ति निरीक्षक व स्थानीय पुलिस के साथ श्रीमती नेहा के राशन डिपो FPSID-108800400229 को चैक कराया गया। विरेन्द्र सिंह खाद्य निरीक्षक द्वारा इस राशन डिपो का भौतिक निरीक्षण करने व आनलाईन राशन का मिलान करने पर बाजरा 4900 कि.ग्रा., गेंहू 3890 कि.ग्रा. व चीनी 90 कि.ग्रा. मुताबिक रिकार्ड कम पाई गई। जिस बारे राशन डिपो होल्डर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। जिससे प्रथम दृष्टया सरकारी राशन की कालाबाजारी की जानी पाई गई। इस संबंध में श्री विरेन्द्र सिंह खाद्य निरीक्षक की शिकायत पर स्थानीय पुलिस थाना शहर बल्लबगढ़ में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग अंकित कराया गया है।

मसला बड़ा गंभीर है, जिस राशन डिपो को पकड़ो वही चोर निकलता है। इसके

लिये अकेला डिपो होल्डर ही जिम्मेदार नहीं है। पूरा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जिम्मेदार है। बिना इस विभाग की मिलीभगत के अकेला डिपो होल्डर कोई हेरा-फेरी नहीं कर सकता। प्रत्येक डिपो होल्डर माल उठाने से पहले विभागीय अफसरों से सौदेबाज़ी एवं लेन-देन करता है। और तो और राशन डिपो अलॉट कराने के लिये भी उसे इन्हीं अधिकारियों को अच्छी-खासी रिश्वत देनी पड़ती है। सरकार द्वारा राशन वितरण पर डिपो होल्डर को दिया जाने वाला कमीशन इतना कम होता है कि उससे लगाई गई रकम का ब्याज व दुकान का किराया तक भी नहीं निकल पाता।

प्रत्येक डिपो होल्डर इस सारे हिसाब-किताब को समझने के बाद ही इस धंधे में निवेश करता है। अधिकांश डिपो होल्डर यह धंधा इतनी सफाई से करते हैं कि न तो कभी उनकी शिकायत होती है और पकड़े जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। इसमें कमाई का असली जरिया वे राशनकार्ड होते हैं जिनका कोई धारक नहीं होता, इनका धारक केवल डिपो होल्डर ही होता है। दूसरा जो राशनकार्ड धारक अपनी राशन किसी वजह से नहीं उठा पाते वो भी डिपो होल्डर की कमाई का साधन बनता है। शिकायत तो केवल उस डिपो होल्डर की होती है जो अधिक लालचवश इन जरियों से भी अधिक कमाने के चक्कर में पड़ता है। उड़न दस्ता इस तथ्य की पुष्टि बड़ी आसानी से कर सकता है। यदि वह बिना किसी शिकायत के अचानक किसी भी राशन डिपो पर छापा मारे। इसके अलावा यह भी देखने वाली बात है कि चोरी करते पकड़े गये डिपो होल्डरों को आखिर सजा क्या हुई? अधिकांश ले-देकर छूट जाते हैं किसी को कोई सजा होती भी है तो नाममात्र की और वे फिर से उसी धंधे में जुट जाते हैं।

Paytm
MM
Majdoor Morcha
UPI ID: 8851091460@paytm
8851091460
Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

बेटे की जगह जन्मी बेटी की जान खतरे में

फ़रीदाबाद (म.मो.) एनएच तीन स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिनांक 14 जनवरी को जनमी बच्ची की जान खतरे में है। पिता संदीप व मां मेनका ने अस्पताल पर आरोप लगाया है कि उसके पैदा तो बेटा हुआ था लेकिन अस्पताल वालों ने उसे किसी से बदल कर बेटी बना दिया है। पिता ने डीएनए जांच की मांग करते हुए बच्ची को स्वीकार करने से मना कर दिया है। इसी चक्कर में वह जच्चा-बच्चा यानी मां-बेटी को अस्पताल से घर नहीं ले जा रहा है जबकि अस्पताल बीते कई दिन से प्रसूता को डिस्चार्ज करने का प्रयास कर रहा है।

पिता का कहना है कि उसे इस बात का पूरा भरोसा दिलाया गया था कि उसके यहां लड़का ही पैदा होगा। बेशक वह सच्चाई नहीं बता रहा है लेकिन समझा जा सकता है कि उसने संभवत: भ्रूण जांच करायी होगी। और चोरी-छिपे भ्रूण जांच का धंधा करने वाले किसी डॉक्टर ने उसे यह बता दिया होगा कि गर्भस्थ शिशु बेटा ही है। बस उसी भरोसे एवं विश्वास पर यह दिग्भ्रमित पिता इतने दिनों से अटका खड़ा है।

अस्पताल द्वारा बार-बार प्रसूता को घर जाने के लिये कहे जाने के बावजूद पिता उसे घर इसलिये नहीं ले जा रहा कि ऐसा करने से उसका केस कमजोर हो जायेगा।

लगता है उस जैसे ही किसी सयाने वकील ने उसे पढ़ा रखा है कि अस्पताल वाले या तो उसे बेटी के बदले बेटा ही देंगे

नवजात बेटी के मां-बाप ईएसआई अस्पताल में

अथवा अच्छा-खासा मुआवजा देंगे।

अपने केस को मजबूत करने के लिये पिता ने पुलिस में भी इस बावत शिकायत दी है।

नियमानुसार, यदि पुलिस मामले को संज्ञान लेने लायक समझती तो आगे कार्रवाई करते हुए अदालत से डीएनए जांच का आदेश पारित करवाती। लेकिन ऐसा कुछ न पाकर पुलिस द्वारा दरखास्त को दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि बच्ची के पैदा होते ही उसे तुरन्त पिता को सौंप दिया गया था जिसका सीसीटीवी फुटेज अस्पताल में मौजूद है। बच्ची के पैदा होने के आधा घंटा आगे-पीछे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार संदीप तीन बेटियों व एक बेटे का पिता पहले से ही है, ऐसे में वह एक और बेटी को नहीं 'झेलना' चाहेगा। परिस्थिति को देखते हुए समझा जा सकता है कि बच्ची का इस घर में रहना सुरक्षित नहीं है। खबर लिखे जाने तक प्रसूता अस्पताल में ही रह रही है। डॉक्टरों के बार-बार कहने के बावजूद भी वह डिस्चार्ज नहीं हो रही है। डॉक्टरों ने उसे समझाया कि अस्पताल में बच्ची को संक्रमण हो सकता है, तो मां ने कहा घर जाते ही तो इसकी मौत हो जायेगी।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421